



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48189

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6273/2026

रमा देवी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : विष्णु स्वरूप श्रीवास्तव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि प्रतिवादी संख्या 2, यानी आयुक्त, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर को यह निर्देश दिया जाए कि वे यू.पी. भू-राजस्व की धारा 219 के तहत दायर मामला संख्या 1350/2024 (कंप्यूटर मामला संख्या सी202405000001350) (रमा देवी बनाम शकुंतला देवी और अन्य) को, एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाएं।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रतिवादी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



होगा। तथापि, यदि प्रतिवादी(गण) इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो उन्हें इस आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

3. याचिकाकर्ता के वकील ने अत्यंत निष्पक्षता से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इससे पूर्व, याचिकाकर्ता ने रिट सी संख्या 38866/2024 (रमा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य) दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उक्त याचिका का निस्तारण दिनांक 25.11.2024 के आदेश द्वारा कर दिया गया था। आदेश इस प्रकार है:-

- "1. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि अवर अदालत को निर्देश दिया जाए कि वह वाद संख्या 1350/2024 (कम्प्यूटरीकृत केस संख्या सी202405000001350 (रमा देवी बनाम शकुंतला देवी और अन्य)) का शीघ्रता से निपटारा करे।
3. रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पूरी याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जिससे यह लगे कि कोई असाधारण स्थिति मौजूद है; न ही याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इस संबंध में कोई ऐसी दलील दी गई है जिसके आधार पर अवर अदालत को उक्त मामले का निपटारा एक निश्चित समय-सीमा के भीतर करने का निर्देश दिया जा सके—सिवाय इस तथ्य के कि यह वाद वर्ष 2024 में दायर किया गया था।
4. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, याचिकाकर्ताओं को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती। तथापि, अवर अदालत से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त मामले का

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



निपटारा विधि के अनुसार ही करे, और किसी भी पक्ष को कोई अनावश्यक स्थगन न दे

—बशर्ते कि इसमें कोई विधिक बाधा न हो।

5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, इस याचिका का निपटारा किया जाता है।"

4. यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि 14 माह से अधिक का समय बीत चुका है और मामला प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष विचाराधीन है, तथापि आज की तिथि तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है; अतः यह रिट याचिका दायर की गई है।
5. याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को तथा न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है। इसके साथ ही, प्रतिवादी संख्या 2—अर्थात् आयुक्त, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर—को यह निर्देश दिया जाता है कि वह उक्त मामले का निपटारा शीघ्रता से करे, और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह माह के भीतर करे; किंतु ऐसा करते समय किसी भी पक्ष को कोई अनावश्यक स्थगन न दिया जाए—बशर्ते कि इसमें कोई विधिक बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

10 मार्च, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”